मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत

मॉडल विद्यालय विकसित

करने हेतु

मार्गदर्शिका

पृष्ठभूमि

बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय सबसे उचित प्रवेश स्थल है। बच्चों के समग्र विकास में शिक्षा एवं शिक्षा के सुरक्षित वातावरण की अहम् भूमिका है। विभिन्न आपदा जनित घटनाओं का स्कूली बच्चों एवं उनके शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे, आपदा के कारण विद्यालयों का बंद हो जाना या विद्यालयों में राहत केन्द्रों आदि का संचालित होना, विद्यालय जाने के रास्ते अवरूद्ध हो जाना, बच्चों का विद्यालय न आना, बच्चों का जीवन/स्वास्थ्य संकट में पड़ जाना आदि।बच्चों के लिए विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहॉ वे सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चे अपने घर से विद्यालय एवं विद्यालय से पुनः घर लौटने के क्रम में कई आपदाओं के जोखिमों का सामना भी करते हैं। आपदाओं के समय विद्यालय की अन्य गतिविधियॉ एवं शिक्षण कार्य अवरूद्ध हो जाने के कारण बच्चों का वैयक्तिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास बाधित हो जाता है। आपदाओं से बच्चों के घायल हो जाने एवं यहॉ तक कि मृत्यु तक की स्थितियॉ उत्पन्न हो जाती है। आपदाओं के कारण बच्चे कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते है। इन स्थितियों में विद्यालय में बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति कम हो जाती है और धीरे–धीरे बच्चों के छीजन दर (ड्राप आऊट) में वृद्वि होती जाती है।

पूरे देश में घटित पिछली कुछ विनाशकारी घटनाओं पर नजर डालने से पता चलता है कि असुरक्षित निर्माणों के ढह जाने, जानकारियों के अभाव, पहले से तैयारी न होने एवं आत्मरक्षा के तरीकों की जानकारी न होने के कारण विद्यालयों एवं घरों में बच्चों की ही मौतें ज्यादा हुई हैं।

आपदाओं से बच्चों के कुप्रभावित होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि बच्चे किसी भी योजना निर्माण अथवा निर्णय का हिस्सा नहीं बनाये जाते, चाहे वह घर की कोई योजना हो या विद्यालय तथा सामुदायिक स्तर की कोई योजना हो। इस कारण उनकी क्षमतावृद्धि नहीं हो पाती है और वे बहुत सारी आपदारोधी क्षमतावृद्धि के लिए आवश्यक जानकारियों से वंचित रहते है।

बच्चों की क्षमतावृद्धि हेतु सशक्त माध्यम विद्यालय है। वयस्कों की तुलना में बच्चे जल्दी सीखते हैं और अपने व्यवहार को आसानी से माहौल के अनुरूप ढाल लेते हैं। बच्चे प्रेरणा का प्रभावी श्रोत भी होते हैं। वे जो विद्यालय में सीखते हैं, संभवतः आगे अपने साथियों, भाई–बहनों तथा माता–पिता एवं अभिभावकों को बताते है। इस प्रकार राज्य में बच्चों की आधी आबादी को यदि आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारियों एवं रिस्पांस में सक्रिय रूप से जोड़ा जाए तो न केवल वे सुरक्षित रहेंगे अपितु उनके माध्यम से समाज एवं राज्य को सुरक्षित बनाने में सहायता मिलेगी।

"मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" – एक परिचय

बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2015 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में विद्यालयों में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों एवं जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया गया। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के समेकित प्रतिवेदनों के अनुसार राज्य के 67,000 सरकारी एवं 50,000 निजी विद्यालयों में मॉकड्रिल आयोजित किये गये। इस कार्यक्रम में लगभग 02 करोड़ छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। 1.51 लाख नोडल शिक्षकों को चयनित कर मॉकड्रिल आयोजित करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत् विद्यालय प्रबंधन समिति के 6 लाख सदस्यों को भी शामिल किया गया। प्रचार–प्रसार सामग्री के रूप में मॉकड्रिल से संबंधित पुस्तिका की 50 लाख प्रतियॉ विद्यालयों में वितरित की गईं। राज्य स्तर पर 400 शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया गया। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016 में भी दिनांक 01–15 जुलाई तक विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया जिसमें सभी विद्यालयों में बाढ़, भूकंप एवं अगलगी से संबंधित आपदाओं से बचाव के बावत प्रशिक्षण तथा उसके अभ्यास के रूप में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। वर्ष 2017 में राज्य स्तर पर 576 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में

जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर लगभग 9500 शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया। विद्यालय स्तर पर दिनांक 01–15 जुलाई तक विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा के तहत् राज्य के 73500 विद्यालयों के लगभग 2.24 करोड़ बच्चे को प्रत्येक दिन अलग–अलग आपदाओं के विषय–वस्तु की जानकारी, क्षमतावर्द्धन एवं उस आपदा से संबंधित अभ्यास/ मॉकड्रिल कराया गया। दिनांक 04 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस के अवसर पर राज्य के गॉधी मैदान में 5000 बच्चे को एक साथ भूकम्प, आगजनी एवं सड़क दुर्घटना से संबंधित मॉकड्रिल कराया गया। इस कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल भी विकसित किया गया जिसे प्रत्येक विद्यालय में पखवाड़ा के पूर्व उपलब्ध कराया गया।

इस कार्यक्रम से निम्नलिखित सीखें प्राप्त हुईं–

1. बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित हुई।
2. विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हुए।
3. विद्यालय सुरक्षा विषय से संबंधित मास्टर प्रशिक्षक तैयार किये गये।
4. बच्चों को जागरूक करने हेतु आई0ई0सी0 सामग्रियाँ विकसित की गई।

बर्ष 2018 से राज्य के लिए विकसित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 में शिक्षा विभाग को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" को निरंतरता प्रदान करते हुए इसे वर्ष में मात्र एक बार आयोजित करने की अपेक्षा इसे विस्तारित कर प्रत्येक दिन एवं प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में आयोजित किये जाने का प्रावधान है।

"मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" की निरंतरता एवं विस्तार से बच्चों में जोखिमों की पहचान, उनकी समझ एवं उनसे निपटने की क्षमता का विकास होगा तथा उनके व्यवहार में दीर्धकालीन परिवर्तन आएगा। बच्चों का विद्यालय में ही सुरक्षित रहना पर्याप्त नहीं है, अपितु उन्हें **"घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक" (Home to School and School to Home)** सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है।

राज्य के सभी विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में इस कार्यक्रम हेतु अवधारणा/क्रियान्वयन दस्तावेज भी तैयार किया गया है। क्रियान्वयन दस्तावेज में उक्त कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करने के तरीकों के साथ–साथ विभिन्न हितभागियों के कार्यदायित्व भी उल्लेखित है।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य–

राज्य के सभी निजी, सरकारी एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों में "मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाएगी।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य **"घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक"** विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कम करना एवं नियमित शिक्षण में आनेवाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान में काफी हद तक (Substantially) कमी लाना है।

उद्देश्य :

1. विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक, अभिभावक) में आपदाओं के जोखिमों की पहचान एवं उनके कुप्रभावों को कम करने के उपायों की समझ एवं क्षमता विकसित करना।
2. विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को नियमित शिक्षण प्रक्रिया में समाहित कर बच्चों में आपदा प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना।
3. विद्यालय परिसर को आपदा जोखिमों (संरचनात्मक/गैर–संरचनात्मक) से सुरक्षित रखना।
4. बच्चों के माध्यम से राज्य में आपदाओं से सुरक्षा (Resilience) की संस्कृति विकसित करना।

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम मूलतः गतिविधि उन्मुख (Activity Oriented) कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को न केवल जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा बल्कि उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम आपदाओं की रोकथाम विशेषकर आपदा पूर्व तैयारियों एवं आपदाओं के प्रभावों को कम करने पर केन्द्रित है।

कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक –

- विद्यालयों का संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक अवयवों का सुदृढ़ीकरण करना।
- समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तहत् पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन संबंधी पाठों की पढ़ाई कराना।
- सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक सारणी में निर्धारित आपदा संबंधी विषयों के बारे में बच्चों को जानकारी देना।
- विद्यालय के बच्चों को आपदा प्रबंधन के प्रति समुदाय के लोगों के प्रवृति में बदलाव लाने के ध्येय से बाल सुरक्षा चैम्पियन के रूप में विकसित करना।

कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित किये जा रहा है–

1. विद्यालय में किसी एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में चिन्हित कर प्रशिक्षित किया गया है।
2. विद्यालय में बच्चों के संगठन जैसे मीना मंच, बाल–संसद आदि की सक्रिय भागीदारी से विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति बनाया गया है।
3. विद्यालय में बच्चों को जोखिमों को पहचानने (हजार्ड हंट) का कौशल विकसित कराया जा रहा है।
4. जोखिमों की पहचान (हजार्ड हंट) करने के उपरांत विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करायी जा रही है।
5. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना के संबंध में चर्चा एवं चिन्हित खतरे तथा जोखिमों के कुप्रभाव को कम करने के उपायों की चर्चा विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में की जा रही है।
6. विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का विद्यालय सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों से अवगत कराया जा रहा है।
7. विद्यालयों में बाल प्रेरक का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।
8. बाल प्रेरकों द्वारा **सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी** के अनुसार प्रत्येक शनिवार को निर्धारित गतिविधियाँ को फोकल शिक्षक की सहायता से विद्यालय के अन्य बच्चों को जानकारी दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों को बाल प्रेरकों द्वारा दिये गये जानकारी से संबंधित कौशल विकसित कर निरंतर अभ्यास कराया जा रहा है।

"मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम" के तहत् मॉडल विद्यालय विकसित करने की अवधारणा

इस कार्यक्रम के तहत् मॉडल विद्यालय विकसित करने की परिकल्पना कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व ही की गई थी। सर्वप्रथम यूनिसेफ द्वारा राज्य के 6 जिलों यथा, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण में वर्ष 2011 से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया था। यूनिसेफ द्वारा क्रियान्वित किये गये कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि विद्यालय बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बने जहाँ पर निर्बाध रूप से हर समय बच्चे पढ़– लिख सके एवं उनके बौद्धिक क्षमता के साथ–साथ शारीरिक विकास भी कर सके। यह पूरा कार्यक्रम बच्चों को केन्द्र में रख कर बनाया गया था जिसमें विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक) की संकल्पना के साथ–साथ समुदाय के अन्य हितभागियों को भी विद्यालय से जोड़ने की गुंजाइश रखी गई थी।

यूनिसेफ द्वारा क्रियान्वित विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से 8 गतिविधियाँ निकलकर आयीं थी जिन्हें चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने पर विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का एक चक्र पूरा किया जाता है। ये गतिविधियाँ निम्नरूपेण है –

1. उचित वातावरण निर्माण की तैयारी।
2. विद्यालय समुदाय को संगठित करना।
3. विद्यालय परिसर एवं आसपास के जोखिमों की पहचान करना।
4. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना।
5. जोखिमों एवं खतरों को कम करने के उपाय ढूँढ़ना एवं उसे क्रियान्वित करना।
6. जानकारी/ज्ञान एवं कौशल हेतु क्षमता वृद्धि।
7. समुदाय एवं अन्य सेवा प्रदाताओं से संबंध स्थापित करना।
8. अनुश्रवण एवं खतरों की नियमित पहचान करना।

उपरोक्त गतिविधियों को आधार मानकर ही मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन दस्तावेज / अवधारणा पुस्तिका तैयार किया गया है। इससे प्राप्त सीखों को विभिन्न गतिविधियों में समाहित किया गया है। यूनिसेफ द्वारा संचालित विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत् विकसित विद्यालय आज इस कार्यक्रम के लिए मॉडल विद्यालय के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

मॉडल विद्यालय विकसित करने के पीछे निम्नलिखित अपेक्षाएँ है –

1. इस कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वयन में जिले के अन्य विद्यालय सीख प्राप्त कर सकेंगे तथा विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित होगें।
2. विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण विद्यालयों के संगठनात्मक ढाँचे यथा, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सुदृढ़ बनेगें।
3. विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण बच्चों में विभिन्न आपदाओं के जोखिम एवं संकटों को पहचानने का कौशल विकसित हो सकेगा तथा उससे बचाव की जानकारी प्राप्त हो सकेगा।
4. इस कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारियों एवं हितभागियों का ज्यादा सहयोग प्राप्त हो सकेगा।
5. विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण एक सबल विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण हो सकेगा।
6. मॉडल विद्यालय के बच्चे आपदा प्रत्युत्तर के लिए ज्यादा सक्षम हो सकेंगें।
7. मॉडल विद्यालय को सम्मान मिलने से दूसरे विद्यालयों का मनोबल बढ़ेगा।

मॉडल विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले गतिविधियाँ–

जिले के अन्य विद्यालयों की भाँति मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन दस्तावेज / अवधारणा पुस्तिका (पीली रंग की पुस्तिका) में उल्लेखित सभी गतिविधियाँ संपादित किये जाएँगें। इस दस्तावेज में उल्लेखित गतिविधियाँ अक्षरशः क्रियान्वित करने के उपरांत ही मॉडल विद्यालय विकसित करने की परिकल्पना साकार हो सकेगा। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाएँगें –

1. मॉडल विद्यालय के किसी एक अनुभवी शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में नामित कर इनके साथ–साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षकों को कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।
2. मॉडल विद्यालय में बच्चों के संगठन जैसे मीना मंच, बाल–संसद आदि की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय

आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर उसके सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों की मासिक बैठक की जाएगी और बैठक में सदस्यों की उपस्थिति एवं पारित किये गये प्रस्तावों को पंजी में संधारित की जाएगी। सदस्यों की सक्रिय भागीदारी की ट्रैकिंग किया जाएगा। विद्यालय के सत्र समाप्ति के उपरांत विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का पुर्नगठन कर उन्हें अविलंब प्रशिक्षित कर कार्यरत किया जाएगा।

3. मॉडल विद्यालय में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों एवं अन्य बच्चों को जोखिमों की पहचान (हजार्ड हंट) करने का कौशल विकसित किया जाएगा।
4. मॉडल विद्यालय में जोखिमों / खतरों की पहचान (हजार्ड हंट) करने के उपरांत विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाएगा। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने में मॉडल प्रपत्र का संदर्भ लिया जा सकता है। **(अनुलग्नक – संलग्न)**
5. मॉडल विद्यालय के विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना को विद्यालय विकास योजना के प्रपत्र– 13 में शामिल किया जाएगा।
6. मॉडल विद्यालय के विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय विकास योजना के प्रपत्र– 13 में अंकित एवं चिन्हित खतरे / जोखिमों के कुप्रभाव को कम करने के उपायों की प्रस्तुति विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में की जाएगी।
7. मॉडल विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को विद्यालय सुरक्षा से संबंधित चिन्हित गतिविधियों को निष्पादित करने हेतु बैठक कर सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा।
8. मॉडल विद्यालय के विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित दीर्धकालिक, मध्यम कालिक एवं लधु कालिक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।
9. मॉडल विद्यालय के विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का छः माह के उपरांत उद्यतन किया जाएगा।
10. मॉडल विद्यालय के कक्षा 6, 7 एवं 8 से प्रत्येक संचालित वर्ग कक्ष के लिए 2 बच्चे के हिसाब से बाल प्रेरक का चयन किया जाएगा उन्हें सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
11. मॉडल विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विकसित **वैगन व्हील – वार्षिक सारणी** को 8 फीट एवं 6 फीट के साइज में विद्यालय के बरामदे पर प्रदर्शित किया जाएगा।
12. बाल प्रेरकों द्वारा **सुरक्षित शनिवार की वैगन व्हील – वार्षिक सारणी** के अनुसार प्रत्येक शनिवार को निर्धारित गतिविधियाँ को फोकल शिक्षक की सहायता से विद्यालय के अन्य बच्चों को जानकारी दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को बाल प्रेरकों द्वारा दिये गये जानकारी से संबंधित कौशल विकसित कर निरंतर अभ्यास / मॉकड्रील कराया जाएगा।

मॉडल विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के साथ–साथ अन्य गतिविधियाँ भी सम्पादित किया जाना आवश्यक है। अन्य गतिविधियाँ निम्नरूपेण है–

- बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जाँच की व्यवस्था
- बच्चों के व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी व्यवस्था
- बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
- बच्चों हेतु पर्याप्त संख्या में शौचालय एवं युरिनल की व्यवस्था एवं इसके साफ–सफाई की व्यवस्था
- विद्यालय परिसर की साफ–सफाई की व्यवस्था एवं कचरे का सुरक्षित निपटान हेतु कचरा प्रबंधन की व्यवस्था
- हैंड वाशिंग स्टेशन की स्थापना एवं बच्चों को साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था
- सोप बैंक विकसित करना

- पैड बैक की व्यवस्था तथा इसके उपयोग हेतु किशोरियों को प्रशिक्षण
- पोषण वाटिका की स्थापना
- बच्चों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था।
- जलवायु संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करना
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना
- गंदे पानी के निस्तारण हेतु शॉक–पीट की स्थापना तथा पक्की नाली का निर्माण

मॉडल विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं बच्चों हेतु प्रशिक्षण योजना

प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण में प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस
पहला (जिला/ प्रखंड स्तरीय)	• विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी • मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम हेतु मॉडल विद्यालय विकसित करने के बारे में प्रशिक्षण • मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन रणनीति एवं शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण • मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न घटकों के बारे में प्रशिक्षण • कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के बारे में प्रशिक्षण • संरचनात्मक एवं गैर– संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के बारे में प्रशिक्षण • सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के दौरान बाल प्रेरकों की भूमिका एवं Wagon Wheel – वार्षिक सारणी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण • मॉडल विद्यालय विकसित करने हेतु चेकलिस्ट	चयनित मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक, फोकल शिक्षक, विद्यालय के अन्य सभी शिक्षक तथा विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष / सक्रिय सदस्य	एक दिवसीय
दूसरा (विद्यालय स्तरीय)	• विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों के गठन संबंधी जानकारी • विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों के कार्यदायित्व • बाल संसद के मंत्रियों, मीना मंच की बालिकाओं तथा बाल सुरक्षा मंत्री एवं उप– बाल सुरक्षा मंत्री का इस कार्यक्रम में भूमिका • विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों की नियमित बैठक करने एवं पंजी संधारण हेतु जानकारी • हजार्ड हंट– जोखिमों /खतरों की पहचान करने की प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी • इवैकुएशन मैप एवं एसेम्बली प्वाइंट की उपयोगिता के संबंध में जानकारी • पहचान किये गये जोखिमों /खतरों के कुप्रभाव को कम करने के उपायों के बारे में विद्यालय परिवार के साथ साझा करने संदर्भ में तरीके • विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने के संदर्भ में जानकारी	विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों	एक दिवसीय

	• सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के दौरान Wagon Wheel – वार्षिक सारणी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण एवं उसका प्रदर्शन		
तीसरा (विद्यालय स्तरीय)	• बाल प्रेरक कौन होगा ? • बाल प्रेरकों की आवश्यकता क्यों ? • बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया। • बाल प्रेरकों के कार्य दायित्व पर चर्चा। • जोखिमों / खतरों की पहचान (हजार्ड हंट) की संक्षिप्त जानकारी। • विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने का प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी। • बाल प्रेरकों को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम आयोजित करने हेतु पूर्व की तैयारी की जानकारी देते हुए वार्षिक सारणी पर चर्चा। • सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के दौरान Wagon Wheel – वार्षिक सारणी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण एवं उसका प्रदर्शन • बाल प्रेरकों द्वारा वर्गवार विद्यालय के अन्य बच्चों को पढ़ाने के तरीके पर चर्चा।	मॉडल विद्यालय के चयनित सभी बाल प्रेरक	एक दिवसीय
चौथा (विद्यालय स्तरीय)	**जीवन रक्षक विधियाँ यथा–** • खोज एवं बचाव के तरीके के बारे में जानकारी • प्रथम चिकित्सा के संबंध में जानकारी • राफ्ट तैयार करने के तरीकों के बारे में जानकारी • हड्डी जोड़ने के तरीकों के बारे में जानकारी • शरीर के जले भाग की चिकित्सा के संदर्भ में जानकारी • ओ.आर.एस. बनाने की विधियों पर चर्चा	मॉडल विद्यालय के विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों, बाल प्रेरकों, बाल संसद एवं मीना मंच के बच्चे तथा अन्य चयनित बच्चे।	एक दिवसीय
पॉचवा (विद्यालय स्तरीय)	**मॉकड्रील एवं अभ्यास –** • मॉकड्रील फ्रेमवर्क एवं मॉकड्रील करने के तरीके तथा फायदे के संदर्भ में जानकारी • भूकंप से बचाव के संदर्भ में मॉकड्रील • अगलगी से बचाव के संदर्भ में मॉकड्रील • ठनका/वज्रपात के संदर्भ में मॉकड्रील • खोज एवं बचाव के संदर्भ में मॉकड्रील • प्रथम चिकित्सा के संदर्भ में मॉकड्रील	मॉडल विद्यालय के विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों, बाल प्रेरकों, बाल संसद एवं मीना मंच के बच्चे तथा अन्य चयनित बच्चे।	एक दिवसीय
छठ्वाँ (विद्यालय स्तरीय)	**समाजिक कुरीतियाँ यथा–** • बाल संरक्षण के संदर्भ में जानकारी • बाल मजदूरी एवं बाल अधिकार के संदर्भ में जानकारी • बाल विवाह एव ंदहेज प्रथा के उन्मूलन के संबंध में जानकारी • नशाखोरी से मुक्ति के संदर्भ में जानकारी • गुड टच एवं बैड टच के संदर्भ में जानकारी	मॉडल विद्यालय के विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों, बाल प्रेरकों, बाल संसद एवं मीना मंच के बच्चे तथा अन्य चयनित बच्चे।	एक दिवसीय

सातवाँ (विद्यालय स्तरीय)	**जलवायु परिवर्तन यथा–** • जल प्रदूषण एवं जल संरक्षण के संदर्भ में जानकारी • वायु प्रदूषण के कुप्रभाव के संदर्भ में जानकारी • ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभाव के संदर्भ में जानकारी • मिट्टी प्रदूषण के कुप्रभाव के संदर्भ में जानकारी • मिट्टी संरक्षण एवं वृक्षारोपण के फायदे के संबंध में जानकारी • जलवायु परिवर्तन का विद्यालय, बच्चे एवं शिक्षकों पर असर के संदर्भ में जानकारी	मॉडल विद्यालय के विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों, बाल प्रेरकों, बाल संसद एवं मीना मंच के बच्चे तथा अन्य चयनित बच्चे।	एक दिवसीय

मॉडल विद्यालय विकसित करने के क्रम में प्रथम प्रशिक्षण की रूपरेखा

प्रतिभागी – चयनित प्रत्येक मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक, फोकल शिक्षक, विद्यालय के अन्य सभी शिक्षक तथा विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष / सक्रिय सदस्य ।

साघनसेवी – जिले के दो मास्टर प्रशिक्षक

स्थान – जिला स्तरीय

प्रशिक्षण कार्यक्रम		
सत्र 1.1	**विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम–एक परिचय**	**समय –60 मिनट** **10:00–11:00**
सत्र का उद्देश्य	• बिहार में आपदा की स्थिति और बच्चों पर पड़ने वाला इसका प्रभाव– पृष्ठभूमि । • विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का औचित्य। • मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य। • विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के घटक– ➢ विद्यालयों के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण ➢ विद्यालयों के गैर–संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण ➢ समावेशी आपदा जोखिम न्युनीकरण ➢ विद्यालयों में "सुरक्षित शनिवार" का क्रियान्वयन • खुला सत्र – अनुभवों का आदान–प्रदान एवं प्रशिक्षण से अपेक्षाएं।	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	• प्रतिभागी समझेंगे कि क्यों इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सम्पूर्णता में आखिर है क्या ? • प्रतिभागी बच्चों के शिक्षा का अधिकार तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीति एवं प्रबंधन के बारे में जान सकेंगे। • **प्रतिभागी** मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ–साथ विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। • प्रतिभागी अपने विद्यालय की सुरक्षा अभ्यासों व् प्रयासों के बारे में अपने विचार रख सकेंगे। • प्रतिभागी अपने विद्यालयों के बच्चों के द्वारा सामना किये जा रहे जोखिमों को बता	

	सकेंग। • प्रतिभागी विद्यालय सुरक्षा के तहत् किये जा रहे प्रयासों को अपने सन्दर्भ से जोड़कर देख सकेंगे।	
सत्र 1.2	**आपदा सम्बन्धी मुद्दे एव आपदा प्रबंधन – प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से जोखिम एवं खतरे तथा दूर करने के उपाय के बारे में जानकारी**	**समय –60 मिनट 11:00–12:00**
सत्र का उद्देश्य	• प्रतिभागियों में आपदाओं के दुष्प्रभावों की समझ विकसित करना। • विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं को समझना। • प्रतिभागियों में समझ विकसित करना की कैसे मानव जनित जोखिमों व् खतरों से विद्यालयों में बड़ी आपदा का रूप ले सकती इसे समझना। • घर से विद्यालय एवं सुरक्षित घर वापसी के लिए बच्चों को उनके स्थान एवं सन्दर्भ के आधर पर खतरे का मूल्यांकन करना।	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	• प्रतिभागी विद्यालय और उसके आस–पास स्थित संभावित जोखिमों/खतरों की पहचान कर पायेंगे। • प्रतिभागियों से विद्यालय प्रांगण में स्थित संभावित जोखिमों/खतरों की सूची बनाकर उसके न्यूनीकरण करने की क्षमता विकसित होगी.	
सत्र 1.3	• **विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी** • **सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के दौरान बाल प्रेरकों की भूमिका एवं वैगन व्हील – वार्षिक सारणी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण**	**समय – 30 मिनट 12:00–12:30**
सत्र का उद्देश्य	• सुरक्षित शनिवार की अवधारणा से परिचित कराना • सुरक्षित शनिवार से संबंधित विकसित **वैगन व्हील** –वार्षिक सारणी की समझ विकसित करना • सुरक्षित शनिवार में वर्णित गतिविधियों को समझना एवं उसके अनुप्रयोग की कुशलता विकसित करना। • इस सत्र में पोस्टर चार्ट लगाने, नोट्स लिखने के बजाय ज्यादा जोर अभ्यास और **'करके सीखने'** पर है, इसलिए **वैगन व्हील** –वार्षिक सारणी में प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी आपदा के बारे में जानकारी एवं अभ्यास/ड्रिल किया जाना अतएव इसे निरंतर करने की आवश्यकता है।	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	• प्रतिभागियों को अभ्यास व् एक्शन के जरिए वास्तविक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्दृष्टि मिलती है। इसी तरह बच्चों के जीवन में देखे जाने वाले कुछ अदृश्य जोखिम/खतरे/परिस्थितियां के प्रति प्रतिभागी संवेदनशील होंगे और उसे कम करने की कोशिश करेंगे। • प्रतिभागियों में विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार के दिन इसके अनुप्रयोग की कुशलता विकसित होगी।	
सत्र 1.4	**समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकों में दिए गए पाठों को यथासंभव आपदा/जोखिम एवं संभावित खतरों से जोड़ना**	**समय– 15 मिनट 12:30–12:45**
सत्र का उद्देश्य	• प्रतिभागियों को पाठ्यपुस्तकों में दिए गए पाठों में आपदा से संबंधित मुद्दों से परिचित कराना। • विभिन्न पाठ्यपुस्तकों / पाठों की सूची और आपदाओं /खतरों और जोखिमों के साथ यथासंभव संबंध जोड़ना। • उन्हें यह मालूम होगा कि आपदा की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानकारी मिलेगा।	
सत्र से अपेक्षित	• विभिन्न प्रकार के पाठ्यपुस्तकों / पाठों से जोड़ने की क्षमता विकसित होगी	

परिणाम	ताकि बच्चों में भावी चुनौतियों को झेलने की क्षमता विकसित हो सके। • प्रतिभागी कुछ आपदाओं/जोखिमों एवं खतरों वाली परिस्थितियों को पाठों के साथ जोड़कर कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में सीखेंगे। • प्रतिभागी पाठों का कक्षा में विनिमयन करने हेतु पूर्व तैयारी के साथ पर्याप्त क्षमता हासिल करेंगे।	
सत्र 1.5	• **फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा।** • **विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन और उसकी भूमिका के निर्धारण के संबंध में जानकारी।** • **हजार्ड हंट और इवेकुएशन मैपिंग –** • **विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण के संबंध में जानकारी।**	**समय– 60 मिनट** **12.45–01.45**
सत्र का उद्देश्य	• सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालयों के उन क्षेत्रों की पहचान करना जो असुरक्षित है। • घर से विद्यालय तक सुरक्षा के संभावित आपदाओं की पहचान करना। • विद्यालय का सुरक्षा मैप बनाना और उसके उच्च जोखिम क्षेत्र एवं निम्न जोखिम क्षेत्र को चिन्हित करना। • सुरक्षित निकास का विस्तृत प्लान बनाना • ग्रीष्म अवकाश के दिनों में बच्चों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की समझ विकसित करना। • विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना से संबंधित मॉडल प्रारूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। कर फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा। • इस कार्यक्रम के सभी हितभागियों की भूमिका एवं जिम्मेवारियों के बारे में जान पायेंगे। • विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में HVCR के महत्व को जान पायेंगे। आपदा के समय शिक्षा की निरंतरता को जान पायेंगे।	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	• प्रतिभागियों में विभिन्न तरह के जोखिमों / खतरों के पहचान तथा उसे आकलन करने की क्षमता विकसित होगी। • प्रतिभागियों को अपने आसपास के जोखिमों / खतरों के प्रति सचेत रहने की आदत विकसित होगी। • प्रतिभागी में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति एवं योजना बनाने की समझ विकसित हो सकेगा। प्रतिभागी विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में HVCR के महत्व को जान पायेंगे।	
• **भोजनावकाश** (समय 01:45–02.30)		
सत्र 1.6	**प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के उपर संक्षिप्त चर्चा।** **आपदाओं के विषय –** 1. **भूकंप** 2. **बाढ़** 3. **अगलगी** 4. **चक्रवाती तूफान** 5. **वज्रपात** 6. **लू** 7. **शीतलहर** 8. **पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन** 9. **पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण** 10. **सर्पदंश से बचाव** 11. **डायरिया, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर** AES/JE	**समय– 30 मिनट** **02:30–03.00**

	12. पानी में डूबने की घटना 13. नाव दुर्घटना 14. सड़क एवं रेल दुर्घटना 15. भगदड़ एवं बिजली घात 16. बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से 17. छेडछाड़ की घटना	
सत्र 1.7	**मॉकड्रिल का फ्रेमवर्क–अभ्यास कैसे करवाया जाए ।**	**समय–30 मिनट 03:00–03.30**
सत्र का उद्देश्य	• प्रतिभागियों को विद्यालय में मॉकड्रिल के महत्व एवं प्रक्रिया को बताना। • मॉक ड्रिल के दौरान स्कूल की तैयारी कैसी हो और कौन इस ड्रिल को करायेंगे, इसकी जानकारी देना। • मॉक ड्रिल के दौरान किसे क्या करना है, यह स्पष्ट किया जाना।	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	प्रतिभागी अपने–अपने विद्यालयों में प्रैक्टिकल मॉक ड्रिल कराये जाने का वास्तविक अनुभव प्राप्त करेंगे.	
सत्र 1.8	**अगलगी एवं भूकंप तथा खोज एवं बचाव के संदर्भ में मॉकड्रिल ।**	**समय–60 मिनट 03:30–04.30**
सत्र का उद्देश्य	प्रतिभागियों को विद्यालय में मॉक ड्रिल का वास्तविक अभ्यास कराये जाने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना	
सत्र से अपेक्षित परिणाम	• प्रतिभागी मॉकड्रिल को अपनाकर खतरों का न्यूनीकरण कर सकेंगे। • प्रतिभागी विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों को अभ्यास करा सकेंगे।	
सत्र 1.9	**मॉडल विद्यालय विकसित करने के संदर्भ में चेकलिस्ट**	**समय–20 मिनट 04:30–04.50**
	प्रशिक्षण का समापन	**समय–05 मिनट 04:50–04.55**
• यह जानकारी प्राप्त करना कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने क्या लाभ उठाया है और भविष्य में प्रशिक्षण के दौरान वे और क्या जानना चाहते हैं जिसे और स्पष्ट किया जाना चाहिए था। • राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले अच्छे प्रयासों को साझा करना और इसके अनुसार कार्य योजना तैयार करना। • प्रशिक्षण से प्राप्त सीख को जिला, प्रखंड, संकुल एवं विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण में बताना। • प्रतिभागी खुद का आकलन कर यह जानेगे कि वे विभिन्न आपदा वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण में जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर उनकी तैयारी कैसी है।		

प्रशिक्षण सत्र संचालित करने हेतु संदर्भित विषयों की विवरणी

1. **प्रथम सत्र का विषय**

- **बिहार में आपदा की स्थिति और बच्चों पर पड़ने वाला इसका प्रभाव– पृष्ठभूमि ।**
- **विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का औचित्य।**

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 01 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

2. **प्रथम सत्र का विषय**

- **मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य।**
- **विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के घटक–**

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 08–12 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

3. दूसरे सत्र का विषय

आपदा सम्बन्धी मुद्दे एव आपदा प्रबंधन – प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से जोखिम एवं खतरे तथा दूर करने के उपाय के बारे में जानकारी

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 13–17 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

4. तीसरे सत्र का विषय

- **विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी**
- **सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के दौरान बाल प्रेरकों की भूमिका एवं वैगन व्हील – वार्षिक सारणी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण**

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 36–37 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु निम्नलिखित बातें ध्यान योग्य है–

- शनिवार के एक दिन पूर्व बाल प्रेरकों को फोकल शिक्षक **वैगन व्हील** –वार्षिक सारणी में निर्धारित विषयों के संबंध में तैयारी करायेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे की बाल प्रेरक अलग–अलग कक्षाओं में जाकर विषय–वस्तु के बारे में जानकारी देने में सक्षम हो सकें।
- पूर्व तैयारी के क्रम में बाल प्ररकों द्वारा मॉकड्रील (डेमोस्ट्रेशन) या अभ्यास कर यह साबित करेंगे कि जो जानकारी विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को दिया जाएगा, वह सही होगा और उनके लिए लाभकारी एवं रोचक होगा।
- पूर्व तैयारी के क्रम बाल प्रेरकों द्वारा फोकल शिक्षक की मदद से नोट बनाया जाए ताकि आवश्यकतानुसार उसका उपयोग कर बच्चों को बेहतर ढंग से जानकारी दिया जा सके।
- शनिवार के दिन कौन–कौन से बाल प्रेरक किस कक्षा में जाएँगे उसका भी निर्धारण फोकल शिक्षक द्वारा किया जाएगा।
- शनिवार को चेतना सत्र एवं उस दिन के अंतिम घंटी में पूर्व तैयारी के अनुसार दो–दो बाल प्रेरक सभी कक्षाओं एवं सेक्शनों में जाकर संबंधित विषयों के बारे में जानकारी देगें, अगर इसके साथ मॉकड्रील एवं अभ्यास प्रस्तावित है तो उसे भी कराना सुनिश्चित करायेंगे।

- बाल प्रेरक जब विभिन्न कक्षाओं में बच्चों को बता रहें हो तब फोकल शिक्षक सभी कक्षाओं में धूम–धूमकर देखेंगे और बाल प्रेरकों को उत्साहित कर उसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने हेतु सुझाव भी देगें।
- अगर किसी बाल प्रेरक को अन्य बच्चों को जानकारी देने में समस्या उत्पन्न हो रही हो तो फोकल शिक्षक उसका आकलन कर यथोचित निदान के तरीके भी बतायेंगे। सभी बाल प्रेरकों से इन समस्याओं पर चर्चा अगले शनिवार के पूर्व तैयारी के क्रम में करेंगे।

<u>वैगन व्हील – वार्षिक सारणी के प्रदर्शन से संबंधित घ्यान देने योग्य बातें –</u>

1. मॉडल विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विकसित **वैगन व्हील – वार्षिक सारणी** को 8 फीट एवं 6 फीट के साइज में विद्यालय के बरामदे पर प्रदर्शित किया जाएगा।
2. **वैगन व्हील – वार्षिक सारणी** के प्रदर्शन में फोकल शिक्षक की जिम्मेवारी होगी कि महीने के प्रत्येक शनिवार को निर्धारित विषयों के बारे में बाल प्रेरकों को जानकारी देगें। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शनिवार को निर्धारित विषयों के बारे में जानकारी एवं अभ्यास कराया जाए।
3. **बाल प्रेरकों को वैगन व्हील – वार्षिक सारणी** को प्रदर्शित करने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। अतएव यह आवश्यक है कि बाल प्रेरकों का चयन संवाद संप्रेषण में कुशल बच्चों का ही किया जाए।
4. बाल प्रेरकों द्वारा **सुरक्षित शनिवार की वैगन व्हील – वार्षिक सारणी** के अनुसार प्रत्येक शनिवार को निर्धारित गतिविधियाँ को फोकल शिक्षक की सहायता से विद्यालय के अन्य बच्चों को जानकारी दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को बाल प्रेरकों द्वारा दिये गये जानकारी से संबंधित कौशल विकसित कर निरंतर अभ्यास / मॉकड्रील कराया जाएगा।

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

बिहार सरकार

निर्देश

1. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विद्यालय के बच्चों में जोखिमों की पहचान एवं उससे बचाव करने की क्षमता, ज्ञान तथा आत्मविश्वास विकसित किया जाए ताकि वे किसी प्रकार के आपदा प्रत्युत्तर के लिए तैयार हो सकें।
2. बाल प्रेरकों द्वारा अन्य सभी बच्चों को एक साथ ज्ञान एवं कौशल स्थानांतरित करने का तरीका अन्य शिक्षण पद्धति से ज्यादा उपयुक्त होता है। अतः बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
3. प्रत्येक विद्यालय के फोकल शिक्षक सभी बाल प्रेरकों के साथ शनिवार के एक दिन पूर्व वार्षिक–सारणी में निर्धारित गतिविधियों के अनुरूप योजना तैयार करेंगे।
4. सुरक्षित शनिवार की गतिविधियाँ प्रत्येक शनिवार के चेतना सत्र तथा अंतिम सत्र में अनिवार्य रूप से आयोजित करेंगे।
5. जिस माह पाँचवा शनिवार पड़े, उस स्थिति में बच्चों को स्वच्छता संबंधी विषयों के बारे में जानकारी दिया जाए एवं अभ्यास कराये।
6. जुलाई के प्रथम पखवारे (1–15 जुलाई) में विद्यालय सुरक्षा पखवारा तथा 4 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस प्रत्येक विद्यालय में आयोजित होगा। विद्यालय सुरक्षा पखवारे में क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने वाली सभी आपदाओं (सुखाड़ सहित) पर आधारित कार्यक्रम किये जायेंगे।
7. स्थानीय विशेष कारणों से सप्ताह में वर्णित गतिविधियों को आगे–पीछे किया जा सकता है।
8. विद्यालय में लंबी छुट्टी होने की स्थिति में बच्चों को गृहकार्य के रूप में विद्यालय सुरक्षा से संबंधित विषयों का अभ्यास एवं उसपर चर्चा करने संबंधी कार्य दिये जाएं ।

unicef | for every child

5. चौथे सत्र का विषय

समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकों में दिए गए पाठों को यथासंभव आपदा/जोखिम एवं संभावित खतरों से जोड़ना

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 18–23 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

ध्यान देने योग्य बातें – संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) में पृष्ठ 18–23 पृष्ठ पर कक्षा 2 से 8 के बिहार टेक्सट की पुस्तिकाओं के पाठयक्रमों में आपदा प्रबंधन संबंधी विषयों का समावेशन विभिन्न पाठों में है। विद्यालय में शिक्षक जब उस पाठ को बच्चे को बताएँ तो ध्यान रहें कि उसे आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से कुछ अन्य बातों की जानकारी भी दी जाए।

6. पॉचवें सत्र का विषय

- **फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा।**
- **विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन और उसकी भूमिका के निर्धारण के संबंध में जानकारी।**
- **हजार्ड हंट और इवेकुएशन मैपिंग –**
- **विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना निर्माण (मॉडल प्रपत्र प्रारूप संलग्न) के संबंध में जानकारी।**

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 41–46 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

7. छठें सत्र का विषय

प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के उपर संक्षिप्त चर्चा। आपदाओं के विषय –

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 47–90 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

8. सातवें एवं आठवें सत्र का विषय

- **मॉकड्रिल का फ्रेमवर्क–अभ्यास कैसे करवाया जाए ।**
- **अगलगी एवं भूकंप तथा खोज एवं बचाव के संदर्भ में मॉकड्रिल ।**

उपरोक्त विषय के संबंध में मास्टर प्रशिक्षक (साधनसेवी) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित शिक्षकों / प्रशिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल पुस्तिका) के पृष्ठ 119–131 का संदर्भ लेकर बताया जा सकता है।

9. नौवें सत्र का विषय

मॉडल विद्यालय विकसित करने के संदर्भ में चेकलिस्ट

चेकलिस्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक नियमित अंतराल पर वर्णित गतिविधियों का पुर्नावलोकन किया जाए ताकि मॉडल विद्यालय अपने गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा तैयार रह सके और उसकी स्थायीत्व भी बरकरार रहें।

क्रम संख्या	मॉडल विद्यालयों के मानक के विन्दु (चेकलिस्ट)	स्थिति का आकलन		
		हाँ	नहीं	स्थिति का आकलन की तिथि
1	क्या विद्यालय में प्रशिक्षित फोकल शिक्षक हैं ?			
2	क्या विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक) को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की जानकारी है?			
3	क्या विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है?			
4	क्या विद्यालय में Shadowसदस्यों का चयन किया गया है?			
5	क्या विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों का प्रशिक्षण किया गया है?			
6	क्या बाल संसद सदस्यों और मीना मंच के सदस्यों का MSSP प्रशिक्षण हो गया है?			
7	क्या बच्चों द्वारा जोखिम आकलन (Hazardहजार्ड हंटHunt) किया गया है?			
8	क्या विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण/ समीक्षा/ नवीकरण किया गया है?			
9	क्या सुरक्षित निष्क्रमण मार्ग (Evacuation Map) और असेंबली एरिया चिन्हित है और विद्यालय के सभी बच्चे को पता है?			
10	क्या विद्यालय में अलमीरा, रैक, टंगे हुए शीशा युक्त फोटो, दीवालघडी आदि को दीवाल से हुक लगाकर कस दिया गया है ताकि भूकंप के दौरान गिरे नहीं?			
11	क्या रसोईया आग से बचाव की सावधानियों का नियमित अनुपालन करतीं हैं?			
12	क्या अग्निशमन यन्त्र सही हालत में, सही स्थान पर रखा गया है और सभी लोग उसका उपयोग करना जानते हैं?			
14	क्या विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की मासिक समीक्षा बैठक हुई है?			
15	क्या वर्गवार 2 - 2 बाल प्रेरक का चयन और प्रशिक्षण हुआ है?			

16	क्या वैगन व्हील - वार्षिक सारिणी का प्रदर्शन विद्यालय के दीवार पर किया गया है तथा उसके अनुसार सुरक्षित शनिवार की गतिविधियाँ संचालित होती है ?			
17	क्या बाल प्रेरकों की मदद से वैगन व्हील - वार्षिक सारिणी के अनुसार सुरक्षित शनिवार की गतिविधियाँ प्रत्येक वर्ग कक्ष में संचालित करवाते हैं? नियमित रूप से Mockdrill किया जाता है ?			
18	क्या विद्यालय परिसर चारदीवारी से सुरक्षित है?			
19	क्या विद्यालय में छात्रों के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक है?			
20	क्या विद्यालय भवन भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित है?			
21	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में भवनों/ कक्षों की संख्या पर्याप्त है?			
22	क्या विद्यालय भवन में नि:शक्त बच्चों के लिए रैंप बनाया गया है?			
23	क्या विद्यालय की सीढियों या निष्क्रमण मार्ग में अवरोध मुक्त है?			
24	क्या विद्यालय का मैदान / परिसर समतल और खेलने -कूदने लायक है?			
25	क्या विद्यालय परिसर में बागवानी और पेड़ पौधे (पोषण वाटिका) लगे हैं?			
26	क्या वर्ग कक्ष और विद्यालय परिसर की नियमित सफाई होती है?			
27	क्या विद्यालय में कचड़ा गड्ढा / कूड़ेदान की व्यवस्था है?			
28	क्या विद्यालय में पोलीथिन का उपयोग वर्जित है?			
29	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में पेयजल स्रोत की संख्या पर्याप्त है?			
30	क्या चापाकल के पास सोख्ता गड्ढा का निर्माण कराया गया है?			
31	क्या चापाकल साफ़ - सुथरा और चबूतरा युक्त है?			
32	क्या चापाकल का नियमित विसंक्रमण किया जाता है?			
33	क्या विद्यालय में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली विकसित की गई है?			
34	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में शौचालयों की संख्या पर्याप्त है?			
35	क्या विद्यालय के शौचालय साफ़ - सुथरा और उपयोग लायक है?			

36	क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन से पहले हाथ धुलाई की समुचित व्यवस्था है?			
37	क्या रसोई घर और बर्तनों की नियमित साफ़- सफाई होती है?			
38	क्या सभी वर्ग कक्ष में बिजली के पंखे लगे हैं और चालू हालत में हैं?			
39	क्या विद्यालय में बिजली की वायरिंग सुरक्षित है?			
40	क्या विद्यालय में पुस्तकालय या आपदा शिक्षण कक्ष बनाया गया है?			
41	क्या विद्यालय के पुस्तकालय मे आपदाओं से सम्बंधित शिक्षण सामग्री प्रदर्शित है?			
42	क्या विद्यालय में बचाव किट, जैसे- रस्सी, टॉर्च, डंडा, सीढ़ी, गीला बोरा आदि है?			
43	क्या विद्यालय में प्राथमिक उपचार सामग्री एवं प्रशिक्षण प्राप्त है?			
44	क्या विद्यालय के छात्रों को आपातकालीन दूरभाष नंबरों की जानकारी है और विद्यालय के दीवार पर लिखा गया है?			
45	क्या विद्यालय समुदाय बाल संरक्षण के मुद्दे पर संवेदनशील है और तदनुरूप व्यव्हार करतें है?			
46	क्या विद्यालय में बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता की नियमित जाँच होती है?			
47	क्या विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम विद्यालय के दीवार पर प्रदर्शित हैं?			
48	यदि विद्यालय का मेन गेट सीधे रोड पर खुलता है तो वहां कोई संकेत या गति अवरोधक लगाया गया है?			
49	क्या विद्यालय में हैंड वाशिंग स्टेशन स्थापित किया गया है ?			
50	क्या विद्यालय के सभी बच्चे विभिन्न आपदाओं के जोखिमों / खतरों को पहचानने में सक्षम हो सके हैं ?			
51	क्या विद्यालय के बच्चे को विभिन्न आपदाओं के जोखिमों / खतरों से बचाव के तरीके की जानकारी में बढ़ोतरी हुई है ?			
52	क्या विद्यालय के बच्चे सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम को प्रदर्शित कर सकते है ?			
53	क्या विद्यालय के सभी बच्चे विभिन्न आपदाओं के बचाव की जानकारी अपने माता-पिता एवं आसपास पड़ोस तथा गाँव के लोगों को बताते हैं ?			

अनुलग्नक – विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का मॉडल प्रपत्र

मॉडल प्रपत्र

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

के अन्तर्गत

"सुरक्षित शनिवार" कार्यक्रम

विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना

विद्यालय का नाम .....

पंचायत .....

प्रखण्ड .....

जिला .....

योजना निर्माण की तिथि .....

योजना की समीक्षा एवं अद्यतन करने की अगली तिथि.....

विद्यालय के फोकल शिक्षक का हस्ताक्षर	प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

विष

क्र0स0	अध्याय विवरण	अध्याय तैयार करने से संबंधित निदेश	पृष्ठ
अध्याय– 1:	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत "सुरक्षित शनिवार" कार्यक्रम की पृष्ठभूमि	लगभग 01 पेज में लिखें {शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 11–12 पर अंकित है}	
अध्याय– 2:	विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाने का तरीका	लगभग 01 पेज में लिखें {शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 45–46 पर अंकित है}	
अध्याय– 3:	विद्यालय में उपलब्ध संसाधन संबंधित आँकड़े	संलग्न प्रपत्र के अनुसार भरें	
अध्याय– 4:	विभिन्न आपदाओं से संबंधित विद्यालय स्तर पर तैयारियों के आकलन हेतु चेकलिस्ट	संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार (हाँ /नहीं) भरें	
अध्याय– 5:	विद्यालय में हजार्ड हंट के उपरांत चिन्हित समस्याऐं एवं मुद्दें तथा उसकी प्राथमिकताऐं	संलग्न प्रपत्र के अनुसार भरें	
अध्याय– 6:	चिन्हित समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय का समेकित कार्य योजना	संलग्न प्रपत्र के अनुसार भरें	
अध्याय– 7:	प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत् किए गये कार्यो की वार्षिक समीक्षा	संलग्न प्रपत्र के अनुसार भरें	
निम्न दस्तावेजों को अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें			
अनुलग्नक–1:	विद्यालय का इवैक्युवेशन मैपिंग / बचाव मार्ग का चित्रण	लगभग 01 पेज में बनायें {शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 44 पर अंकित है}	
अनुलग्नक–2:	विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची	समिति गठन से संबंधित निदेश शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 42 पर देखें	
अनुलग्नक–3:	विद्यालय के बाल संसद सदस्यों की सूची	संलग्न प्रपत्र के अनुसार भरें	
अनुलग्नक–4:	विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की सूची	संलग्न प्रपत्र के अनुसार भरें	
अनुलग्नक–5:	महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर	संलग्न प्रपत्र के अनुसार भरें	

विद्याालय आपदा प्रबंधन योजना के बारे में अध्यायवार लिखें–

अध्याय– 1: मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत "सुरक्षित शनिवार" कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

लगभग आधा पेज में लिखें {शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 11–12 पर अंकित है}

अध्याय– 2: विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाने का तरीका :–

लगभग आधा पेज में लिखें {शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 45–46 पर अंकित है}

अध्याय– 3: विद्यालय में उपलब्ध संसाधन संबंधित आँकडें :–

1) छात्र–छात्राओं की विवरणः

कक्षा	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या	कुल संख्या

2) शिक्षक व अन्य कर्मीगण की विवरण :

महिला शिक्षक संख्या	पुरूष शिक्षक संख्या	अन्य कर्मा सं0	कुल संख्या

3) विद्यालय में भवनों सं संबंधित विवरण :

कुल भवन संख्या	कुल कमरों की सं0	वर्ग संचालन हेतु प्रयुक्त कमरों की सं0	कार्यालय के लिए प्रयुक्त कमरों की सं0	भंडार के लिए प्रयुक्त कमरों की सं0	रसोई के लिए प्रयुक्त कमरों की सं0	पुस्तकालय के लिए प्रयुक्त कमरों की सं0

4) पेयजल की व्यवस्थाः

कुल चापाकलों की सं0	कार्यरत चापाकलों की सं0	प्लेटफार्म व निकास नाली युक्त चापाकलों की सं0	बाढ के दौरान सुरक्षित रहने वाले चापाकलों की सं0

5) शौचालय की व्यवस्थाः

विद्यालय में कुल शौचालयों की सं0	लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सं0	बाढ़ से सुरक्षित शौचालयों की सं0	बच्चों के लिए चालू हालत में प्रयुक्त होने वाले शौचालयों की सं0

अध्याय– 4: विभिन्न आपदाओं से संबंधित विद्यालय स्तर पर तैयारियों के आकलन हेतु चेकलिस्ट :–

क्र0सं0	आपदा से सुरक्षा के मानक	हॉ/नहीं	अभ्युक्ति
1	क्या विद्यालय के सभी भवन भूकम्परोधी तकनीक से बना है ?		
2	क्या विद्यालय में आलमीरा, रैक, टांगे हुए भारयुक्त फोटो, दिवालघड़ी आदि को दिवाल से हुक लगाकर कस दिया गया है या नहीं ?		
3	क्या विद्यालय के भीतर एवं बाहर भूकम्प एवं बाढ़ में सुरक्षित स्थान एवं निकलने के रास्तों को चिन्हित किया गया है ?		
4	क्या विद्यालय के सभी छात्रों व शिक्षकों को भूकम्प के दौरान "क्या करें" और "क्या ना करें" की जानकारी है ?		
5	क्या आपके विद्यालय के छात्र–छात्राएँ भूकम्प, आग, बाढ़ इत्यादि जैसे आपदाओं से बचाव संबंधी मॉकड्रिल करते हैं ?		
6	क्या रसोईया आग से बचाव की सावधानियों का नियमित अनुपालन करते हैं ?		
7	क्या विद्यालय में बिजली की वायरिंग सुरक्षित है। तारों के जोड़ पर टेप लगा है या नहीं। प्लग में स्पार्क या फॉल्ट को तुरंत ठीक कराया जाता है या नहीं ?		
8	अग्निशामक यंत्र सही जगह पर टंगा है या नहीं। सभी छात्र–छात्राएँ इसके उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किये गये हैं या नहीं ?		
9	क्या विद्यालय मे सभी छात्र शौचालय का उपयोग करते है?		
10	क्या विद्यालय के सभी छात्र भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोते है?		
11	क्या विद्यालय में शौचालय, पेयजल श्रोत के आसपास एवं परिसर की दैनिक सफाई होती है ?		
12	क्या विद्यालय का शौचालय बाढ़ के जलस्तर से ऊँचे स्थान पर अवस्थित है या नहीं ?		
13	क्या विद्यालय का पेयजल श्रोत बाढ़ के जलस्तर से ऊँचे स्थान पर अवस्थित है या नहीं ?		
14	क्या विद्यालय भवन के कमरे बाढ़ के जलस्तर से ऊँचे स्थान पर अवस्थित है या नहीं ?		
15	क्या विद्यालय के भवनों में निशक्तः बच्चों के लिए रैम्प बनाया गया है ?		
16	क्या विद्यालय परिसर को चारदिवारी कके साथ–साथ गेट लगाकर सुरक्षित किया गया है ?		
17	बाढ़ की स्थिति में "क्या करें" और "क्या ना करें" की जानकारी सभी छात्रों को है या नहीं ?		
18	क्या विद्यालय के पुस्तकालय में आपदा से संबंधित शिक्षण सामग्री है ?		
19	क्या विद्यालय में बचाव किट जैसे– रस्सी, टार्च, डंडा, सीढी आदि उपलब्ध है ?		
20	क्या विद्यालय के बच्चे सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक है ?		

21	क्या विद्यालय में प्राथमिक उपचार सामग्री की उपलब्धता है या नहीं एवं बच्चे को इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं ?		
22	क्या विद्यालय के छात्रों को आपातकालीन दूरभाष जैसे पुलिस, फायर ब्रिग्रेड, आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष आदि की जानकारी है या नहीं ?		
23	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में वर्ग कक्ष पर्याप्त संख्या में है या नहीं ?		
24	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में पेयजल श्रोत पर्याप्त संख्या में है या नहीं ?		
25	क्या विद्यालय में बच्चों के अनुपात में शौचालय पर्याप्त संख्या में है या नहीं ?		

अध्याय– 5: विद्यालय में हजार्ड हंट के उपरांत चिन्हित समस्याऐं एवं मुद्दें तथा उसकी प्राथमिकताऐं :–

विद्यालय में जोखिमों/खतरों के संभावित सेक्टर	स्थान/जोखिम युक्त अंश का नाम	जोखिमों की संभावना/तीव्रता के आधार पर प्राथमिकताऐं		
		उच्च	मध्यम	कम
पेयजल एवं परिसर स्वच्छता संबंधी जोखिम				
स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी जोखिम				
जीवन रक्षा कौशल के अभाव संबंधी जोखिम				
भवन की संरचनात्मक तथा गैर–संरचनात्मक एवं उसके मजबूती संबंधी जोखिम				
विद्यालय परिसर संबंधी जोखिम				

घर से विद्यालय आने के मार्ग में पड़ने वाले जोखिम				
मध्याहन् भोजन एवं किचेन शेड से संबंधित जोखिम				
अन्यान्य				

ध्याय– 6: चिन्हित समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय का समेकित कार्य योजना :–

क्रम सं0	चिन्हित मुद्दा/समस्या	वर्त्तमान में चिन्हित समस्याओं की स्थिति	समाधान के विकल्प	योजना के क्रियान्वयन हेतु गतिविधियाँ	जिम्मेवारी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7

अध्याय– 7: प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत् किए गये कार्यो की वार्षिक समीक्षा :–

योजना के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त तालिका के अनुसार क्रमवार गतिविधियाँ	प्रगति का विवरण				कार्य अधूरा रहने का कारण	अभियुक्ति
	कार्य प्रारंभ होने की स्थिति	लागत /खर्च	योजना / मद का नाम	सहयोगी विभाग या संस्था		

अनुलग्नक – 1: विद्यालय का इवैक्युवेशन मैपिंग / बचाव मार्ग का चित्रण :–

लगभग 01 पेज में बनायें {शिक्षकों हेतु संदर्भ पुस्तिका (लाल रंग) के पृष्ठ 44 पर अंकित है}

अनुलग्नक – 2: विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची :–

क्र0 सं0	समिति सदस्यों का नाम	वर्ग /शिक्षक /अभिभावक/अन्य	समिति में पदनाम

अनुलग्नक – 3: विद्यालय के बाल संसद सदस्यों की सूची :–

क्र0 सं0	बाल संसद के सदस्यों का नाम	वर्ग	संसद के मंत्री का पदनाम

अनुलग्नक – 4: विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की सूची :–

क्र0 सं0	विद्यालय शिक्षा समिति **सदस्यों का नाम**	**समिति सदस्यों का पता**	**पदनाम**

अनुलग्नक – 1: महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर :–

क्र0 सं0	महत्वपूर्ण व्यक्तियों **का नाम**	दूरभाष नम्बर / मोबाईल न0

मॉडल विद्यालयों की सूची

जिला –सीतामढ़ी

Sl. No.	Block	Gram Panchayat	Village	Name of the School	Type of School	Name of HM	Contact no.
1	Riga	Ganeshpur Bbhangama	Babhangama	P.S Babhangama Ganeshpur	Primary	Chandra Kishore Ram	9576300563
2	Riga	Bhagwanpur	Jaynagar	P.S Jaynagar	Primary	Indu Kumari	9031372951
3	Riga	Bhagwanpur	Bhawanipur	P.S Bhawanipur	Primary	Nand Kishore Baitha	9771070305
4	Riga	Sirauli First	Kapraul	P.S Kapraul Harijan	Primary	Rajesh Kumar	7004640810
5	Riga	Ganeshpur Bbhangama	Babhangama	P.S Ganeshpur Babhangama	Primary	Dinesh Kumar Gupta	9199458649
6	Dumra	M.S Lagma	Muradpur	P.S Wajitpur purvi	Primary	Ngendra Prasad	6205873371
7	Riga	Anhari	Anhari Ujiyari	M.S Anhari	Middle	Ramanand Mandal	9973641075
8	Riga	Rewasi	Rewasi Muksudpur	M.S Rewasi Pakri	Middle	Rajkumar	9471901674
9	Riga	Bulakipur	Bulakipur	M.S Bulakipur	Middle	Rjesh Prasad	9835236656
10	Riga	Anhari	Mrar	M.S Marar	Middle	Shyam Kumar	9835816803
11	Riga	Sirauli Second	Ramnagra	M.S Ramnagra	Middle	Anil Kumar	9430012199
12	Riga	Posua Pataniya	Posua Pataniya	M.S Buniyadi Tola	Middle	Aftab Alam	8709240191
13	Riga	Kushmari	Riga	M.S Riga Mil	Middle	Sashisekhar Prasad Singh	9534502828
14	Riga	Sirauli Second	Hanuman Nagar	M.S Hanuman Nagar	Middle	Jagat Narayan	9835850768
15	Dumra	Mdhopur Rushan	Dharmpur	M.S Dharmpur	Middle	Ujjawal Kumar	9934656091
16	Dumra	Mehsaul Pschmi	Mohanpur	M.S Mohanpur Sivnandan	Middle	Surendra Kumar Mahto	9798434801
17	Dumra	Balua	Balua	M.S Balua Muhchatti	Middle	Ramakant Singh	9006241293
18	Dumra	Misrauliya	Misrauliya	M.S Misrauliya	Middle	Ravindra Kumar	9431682264
19	Dumra	Bhasar Machhaha Utri	Machhaha	M.S Machhaha	Middle	Lalbabu Singh	9708899354
20	Dumra	Muradpur	Narayanpur	M.S Narayanpur	Middle	Brajkishore Rajak	6207475644

जिला –गया

Sl.	Block	Gram Panchayat	Village	Name of the School	Type of School	Name of the HM	Contact No of HM
1	Sherghati	Bela	Dakhin Khap	P.S,Dakhinkhap	Primary	Vijay kumar	9199059244
2	Sherghati	Bela	Mozma	P.S,Mozma	Primary	Ashok kumar	7903601034
3	Sherghati	Cherki	Jaipur	P.S,Jaipur	Primary	Binita kumari	6203661978
4	Sherghati	Chanpi	Baniadih	P.S,Baniadih	Primary	Ganauri passwan	9934787020
5	Sherghati	Chitabkala	Ishmilepur	P.S,Ishmailepur	Primary	Mirdula kumari	9771746005
6	Sherghati	Chitabkala	Kamat	M.S,Kamat	Middle	Shashi kiran prasad	9939707636
7	Sherghati	Chitabkala	Jogapur	M.S,Jogapur	Middle	Digvijay kumar	9955039662
8	Sherghati	Nagarpanchayat	Sherghati	Manorma Kanya.M.S	Middle	Margret Samual	9801212466
9	Sherghati	Cherki	Bisanpura	M.S,Bisanpura	Middle	Kaushal kumar	7903989203
10	Sherghati	Srirampur	BT Bigha	M.S,BT bigha	Middle	Nakul Prajapati	9934021925
11	Sherghati	Bar	Barhussainganj	U. M.S,Barhussainganj	Middle	Md ekablu Rahman	6205105918
12	Sherghati	Nagarpanchayat	Sherghati	M.S,Dulhinmandir	Middle	Kiran kumari	9939946380
13	Sherghati	Gopalpur	Mohammadpur	M.S,Mohammadpur	Middle	Anand Mohan Rajak	8809627688
14	Sherghati	Srirampur	Sri Rampur	M.S,SriRampur	Middle	Sakuntala kumari	9097125556
15	Sherghati	Nagarpanchayat	Sherghati	Abhyas buniyadi.M.S	Middle	Abhay kumar	9931626157
16	Sherghati	Nagarpanchayat	Palakiya	M.S,Palakiya	Middle	Anil kumar mishra	9546821978
17	Sherghati	Cherki	Dhandhopur	M.S,Dhandhopur	Middle	Manoj kr sinha	9430073218
18	Sherghati	Nagarpanchayat	Kathar	M.S,Kathar	Middle	Rajkumari	9771732284
19	Sherghati	Bela	Bela	M.S,Bela	Middle	Arvind kumar	9939252668
20	Sherghati	Chanpi	Jamuen	M.S,Jamuen	Middle	Vinesh prasad	7870886383

जिला– पूर्णिया

Sl	Block	Gram Panchayat	Village	Name of the School	Type of School	Name of the HM	Contact No of HM
1	Kasba	Bochgaon	Pokhariya	P S Pokhariya	Primary	Md. Atasham Aktar	7781034436
2	Kasba	Barita	Radha Nagar	P S Radha Nagar	Primary	Satybhabha Kumari	9771087025
3	Kasba	Sanjheli	Sharma Tola	P S Sharma Tola	Primary	Sankar Kumar roy	9973262895
4	Kasba	Nagar Panchayat Kasba	Phoolwaria	P S Phoolwaria	Primary	Poonam Kumari	7488163033
5	Kasba	Nagar Panchayat Kasba	Nema Tola Kasba	P S Neema Tola Kasba	Primary	Kunadan Kumari	7739720184
6	Kasba	Gurhi	Gurhi	M S Gurhi	Middle	Dipendar Kr Chorisiya	8877307728
7	Kasba	Malahriya	Vishanpur	U H S Vishanpur	Upgrade	Suchit Kumar	9939403714
8	Kasba	Nagar Panchayat Kasba	Dogachhi	M S Dogachi	Middle	Rajesh Paswan	7979762498 9931896502
9	Kasba	Nagar Panchayat Kasba	Tinpaiya	M S Tinpaniya	Middle	Kumari Pushpa	9572012902
10	Kasba	Sanjheli	Sanjhali	M S Sanjheli	Middle	Dhananjay Ku Mishara	9631548723
11	Kasba	Lakhana	Dumahri	M S Dumahri	Middle	Md. Faiyaz Alam	7979913447
12	Kasba	Mohani	Mohani	U H S Mohni	Upgrade	Hareram Jha	9661574533
13	Kasba	Nagar Panchayat Kasba	Gudhari Bazar	M S Gudhari Bazar	Middle	Sudha Rani	8510833532
14	Kasba	Bochgaon	Bochgaon	M S Bochgaon	Middle	Deelip Kumar	8084516568
15	Kasba	Malahariya	Malahariya	M S Malahariya	Middle	Mihir Kr Jha	8051471197
16	Kasba	Barita	Barita Santhal	M S Barita Santhal	Middle	Ganesh Pr Yadav	7549554294
17	Kasba	Sanjheli	Kadawa	U H S Kadawa	Upgrade	Zubair Alam	9006717685
18	Kasba	Lakhana	Majgama	U H S Majgama	Upgrade	Balram Kr. Chorasiya	9572119504
19	Kasba	Mohani	Tikapur	M S Tikapur	Middle	Rajesh Kr.Jha	8051343410
20	Kasba	Bochgaon	Jalkar	M S Jalkar	Middle	Md. Raseesudin	8709811370

जिला– दरभंगा

Sl	Block	Gram Panchayat	Village	Name of the School	Type of School	Name of the HM	Contact No of HM

जिला– मधुबनी

Sl	Block	Gram Panchayat	Village	Name of the School	Type of School	Name of the HM	Contact No of HM

जिला– सुपौल

Sl	Block	Gram Panchayat	Village	Name of the School	Type of School	Name of the HM	Contact No of HM